अत्यावश्यक/छात्र संघ चुनाव

<u>निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर</u>

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2012/322 दिनांकः 12 अगस्त, 2013

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2013 सम्पन्न करवाने बाबत।
संदर्भः उच्च शिक्षा विभाग का पत्रांकः 3 (11)शिक्षा–4/2013 दिनांक 10.08.2013 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तहत राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2013 के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया छात्रसंघ चुनाव 2013 के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराते हुए छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न करावें।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय,
(नवीन जैन)
निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद/निकाशि/छात्रसंघ चुनाव/2012/322 दिनांकः 12 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त–सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव–निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ0 धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।

संयुक्त–निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

2 DI (Acad.)
site website पर उपलब्ध
12/8/13

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांकः प. 3 (11) शिक्षा–4/2013 जयपुर, दिनांकः 10.08.2013

1. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
10. कुलसचिव, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर।
11. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।

F.D. No. 267 /PS/CCE/U
Dated 12-8-13

विषय :– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव–2013 सम्पन्न करवाने बाबत।

DR VYAS
Eev
12/8/13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सम्पूर्ण प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 24.8.2013 को एक दिवस में छात्रसंघ चुनाव सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निम्नलिखित छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होंगे:–

1. अध्यक्ष।
2. उपाध्यक्ष।
3. महासचिव।
4. सयुक्त सचिव।
5. विश्वविद्यालय छात्रसंघ हेतु महाविद्यालय/शैक्षणिक अनुभाग प्रतिनिधि।
6. कक्षा प्रतिनिधि।

छात्रसंघ चुनाव–2013 का कार्यकम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

1. मतदाता सूचियों का प्रकाशन दिनांक 16.8.2013 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
2. मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना 17.8.2013 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)
3. मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 17.8.2013 (अपराह्न 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
4. उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना 19.8.2013 (प्रातः 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक)
5. उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 21.8.2013 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक)
6. उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन 21.8.2013 (अपराह्न 1.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक)
7. मतदान दिनांक 24.8.2013, समय प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक।

8 मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाना दिनांक 24.8.2013 को अपराह्न 2.00 बजे से कार्य समाप्ति तक।

यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16.8.2013 तक नियमानुसार एक वर्षीय अथवा उससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी नियमित विद्यार्थियों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में चुने गये कक्षा प्रतिनिधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सदस्य होंगे एवं उनमें से छात्रसंघ कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

भवदीय,

(तपेश पवार)
प्रमुख शासन सचिव, उच्चशिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त शासनसचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. सभी कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय।

16.8.13

संयुक्त सचिव, उच्चशिक्षा